

जिला मजिस्ट्रेट शिविर कार्यालय, कानपुर नगर।

पत्रांक 666 /ओएस0डी0-डीएम/ कोविड-19/2020 दिनांक: अप्रैल 30, 2020

आदेश

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जनपद के हॉट स्पॉट क्षेत्र में सैम्पलिंग एवं कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के कोरन्टाइन हेतु जाने पर कोरोना वारियर्स के विरुद्ध स्थानीय निवासियों द्वारा दुर्व्यवहार/पत्थरबाजी की घटना को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित निर्देश पारित किये जाते हैं :-

- 1- हाटस्पॉट वाले क्षेत्रों में मेडिकल टीम कोरन्टाइन करने हेतु संक्रमण प्रभावित व्यक्ति/व्यक्तियों को ले जाने तथा मेडिकल जांच हेतु सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी से समन्वय स्थापित करके उनके साथ ही जायेंगी। कोरोना घनात्मक मामलों से सम्पर्क के आधार पर बनी सूची के व्यक्तियों को कोरन्टाइन करने के लिए मेडिकल टीम द्वारा स्थानीय पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्तियों को पूर्व सूचना दी जाएगी तथा उनकी धर्मगुरुओं व जिम्मेदार लोगों के माध्यम से काउन्सिलिंग करके पूरी तरह से तैयार कराकर यथाशीघ्र पुनः मेडिकल टीम के साथ सैम्पल लेने/कोरन्टाइन करने आदि के लिए भेजा जाएगा।
- 2- कोरन्टाइन किये जाने वाले व्यक्ति के घर वालों को कोरन्टाइन सेन्टर में खाने-पीने व रहने की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में बताते हुए जागरूक किया जाये तथा कोरन्टाइन सेन्टर के सम्बन्ध में भी अवगत कराया जाये।
- 3- सम्बन्धित क्षेत्र के धर्म गुरुओं और जिम्मेदार व्यक्तियों को भी सूचित करते हुए उनका आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाये।
- 4- थानेवार चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित कर क्षेत्र में जाने से पूर्व समय से सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी को भी अवगत कराया जाये।
- 5- प्रत्येक थाना क्षेत्र में कोरोना के घनात्मक केंसों का रजिस्टर तैयार किया जाये।
उक्त आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए।

(डा० ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/नोडल अधिकारी कोविड-19, कानपुर नगर महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 2- आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 3- डी०आई०जी०/एस०एस०पी०, कानपुर नगर।
- 4- अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)/(वि०/रा०), कानपुर नगर।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर।
- 6- समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर नगर।
- 7- नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, बेनाशाबर, कानपुर।
- 8- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, कानपुर नगर।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।